न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 116 / 2024

वादी :—

1. कनकी पत्नी चन्द्रसिंह
2. कल्याणसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जातियान रावणा राजपूत निवासीगण ग्राम पडासलां कलां तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थितिः— वादीगण की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।

प्रतिवादी सं. — सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः**— 17/12/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पड़ासला कलॉ, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 389 / 2 रकबा 0.9223 हैक्टेयर आई हुई है। जो वादीगण की संयुक्त खातेदारीसुदा भूमि है। जिसमें वादी संख्या 1 का 1 / 2 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1 / 2 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि ए से सम्बोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम पड़ासला कलॉ, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 389 / 1 रकबा 2.1600 हैक्टेयर आई हुई है। जो वादी संख्या 1 व सहखातेदार अनदाराम की संयुक्त खातेदारीसुदा भूमि है। जिसमें वादी संख्या 1 का 1 / 2 हिस्सा व सहखातेदार अनदाराम का 1 / 2 हिस्सा दर्ज है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि बी से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी पूर्व में खातेदार बस्तीराम पुत्र नवला कौम दरोगा के नाम दर्ज थी। खातेदार बस्तीराम वादीगण के ससुर / दादा थे। बस्तीराम फौत होने पर वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी में खातेदार बस्तीराम के स्थान पर उनके वारिस वादीगण के पतिधपिता चन्द्राराम का नाम दर्ज किया गया। बस्तीराम के फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय वादीगण के पति / पिता का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम चन्द्राराम हल्का पटवारी द्वारा दर्ज कर दिया गया तब से उक्त फौतेदगी म्यूटेशन के आधार पर वादीगण के पतिधपिता का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में चन्द्राराम दर्ज चला आ रहा था जबकि वादीगण के पति / पिता का सही नाम चन्द्रसिंह है। जिसके सम्बंध में वादी संख्या 1 के सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, जनआधारकार्ड व वादी संख्या 2 के सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, पहचान पत्र, पैनकार्ड, राशनकार्ड, विद्युत बिल, बैंक डायरी भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिलाडा व दी जोधपुर सैण्ट्रा कॉ आपरेटिव बैंक शाखा बिलाड़ा वाद पत्र के साथ पेश है। जिसमें वादीगण के पतिधपिता का सही नाम चन्द्रसिंह दर्ज है। वादीगण के पतिधपिता फौत होने पर वादीगण के नाम दर्ज फौतेदगी म्यूटेशन में भी वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 के पिता का नाम चन्द्राराम दर्ज किया गया तथा उक्त फौतेदगी म्यूटेशन में वादी संख्या 1 का घर पर प्यार व स्नेह से

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पुकारा जाने वाला नाम कन्या उर्फ कृष्णा दर्ज किया गया, जबकि वादी संख्या 1 का सही नाम कनकी है जिसके सम्बंध में वादी संख्या 1 के सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, जनआधारकार्ड वादपत्र के साथ पेश है जिसमें वादी संख्या 1 का सही नाम कनकी दर्ज है। वादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी में वादी संख्या 1 के दर्ज अशुद्ध नाम कन्या उर्फ कृष्णा के स्थान पर सही नाम कनकी व वादी संख्या 1 के पति के दर्ज अशुद्ध नाम चन्द्राराम के स्थान पर सही नाम चन्द्रसिंह व वादी संख्या 2 के पिता के दर्ज अशुद्ध नाम चन्द्राराम के स्थान पर चन्द्रसिंह दुरूस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादी के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु श्रीमान सक्षम है, इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि ए की चालु जमाबन्दी में वादी संख्या 1 के दर्ज अशुद्ध नाम कन्या उर्फ कृष्णा के स्थान पर सही नाम कनकी व वादी संख्या 1 के पति के दर्ज अशुद्ध नाम चन्द्राराम के स्थान पर सही नाम चन्द्रसिंह दुरूस्त किये जाने, वादी संख्या 2 के पिता के दर्ज अशुद्ध नाम चन्द्राराम के स्थान पर सही नाम चन्द्रसिंह दुरुस्त किये जाने व वादग्रस्त कृषि भूमि बी की चालु जमाबन्दी में वादी संख्या 1 के दर्ज अशुद्ध नाम कन्या उर्फ कृष्णा के स्थान पर सही नाम कनकी व वादी संख्या 1 के पति के दर्ज अशुद्ध नाम चन्द्राराम के स्थान पर सही नाम चन्द्रसिंह दुरूस्त किये जाने हेतु यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि श्बीश के अन्य दर्ज सहखातेदार अनदाराम को प्रस्तुत वाद में पक्षकार नही बनाया है, क्योकि वादीगण द्वारा उनके विरूद्ध प्रस्तुत वाद में किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा है इसलिए वो प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार नही है तथा प्रस्तुत वाद में माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित करने पर उनके हक व अधिकार प्रभावित होने की संभावना नहीं है। वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी के सम्बंध में वादीगण 5 के ससुर/दादा बस्तीराम का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय वादीगण के पतिधपिता का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम चन्द्राराम दर्ज करने, तब से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में चन्द्राराम दर्ज चला आने से, चन्द्राराम फौत होने पर दर्ज फौतेदगी म्यूटेशन में भी वादी संख्या 1 का नाम कन्या उर्फ कृष्णा व वादी संख्या 1 के पति का नाम चन्द्राराम दर्ज करने से व वादी संख्या 2 के पिता का नाम चन्द्राराम दर्ज करने से, जिसकी जानकारी वादीगण को होने पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी को वादी संख्या 1 के अशुद्ध नाम कन्या उर्फ कृष्णा के स्थान पर सही नाम कनकी, वादी संख्या 1 के पति का दर्ज अशुद्ध नाम चन्द्राराम के स्थान पर सही नाम चन्द्रसिंह, वादी संख्या 2 के पिता का दर्ज अशुद्ध नाम चन्द्राराम के स्थान पर सही नाम चन्द्रसिंह दुरूस्त किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रतिवादी द्वारा वादीगण के निवेदन को अस्वीकार करने पर व इस हेतु श्रीमान सक्षम होने के कारण वादकारण बमुकाम् ग्राम पड़ासला कलॉ तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो सतत् जारी है।

अन्त में निवेदन है कि राजस्व ग्राम पड़ासला कलॉ, तहसील बिलाड़ा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि ए खसरा संख्या 389/2 रकबा 0.9223 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में दर्ज अशुद्ध इन्द्राज कन्या उर्फ कृष्णा पत्नी चन्द्राराम हिस्सा 1/2 जाति रावणा राजपूत, सा देह खातेदार, कल्याणसिंह पुत्र चन्द्राराम हिस्सा 1/2 जाति रावणा राजपूत, सा देह खातेदार के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज कनकी पत्नी चन्द्रसिंह हिस्सा 1/2 जाति रावणा राजपूत, सा देह खातेदार, कल्याणसिंह पुत्र चन्द्रसिंह हिस्सा 1/2 जाति रावणा राजपूत, सा देह खातेदार दुरूस्त किये जाने की डिक्री फरमावे।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

मुताबिक डिक्री के अनुसार दुरूस्ती का म्यूटेशन व इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे। राजस्व ग्राम पड़ासला कलॉ, तहसील बिलाड़ा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि बी खसरा संख्या 389/1 रकबा 2.1600 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में दर्ज अशुद्ध इन्द्राज कन्या उर्फ कृष्णा पत्नी चन्द्राराम हिस्सा 1/2 जाति रावणा राजपूत, सा देह खातेदार के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज कनकी पत्नी चन्द्रसिंह हिस्सा 1/2 जाति रावणा राजपूत, सा देह खातेदार दुरुस्त किये जाने की डिक्री फरमावे। मुताबिक डिक्री के अनुसार दुरूस्ती का म्यूटेशन व इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पडासला कलां तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 389/2 रकबा 0.9223 हैक्टयर भूमि वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिसमें वादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा व वादी सं. 2 का 1/2 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज है। राजस्व ग्राम पडासलां कलां तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 389/1 रकबा 2.1600 हैक्टयर भूमि वादी सं. 1 व सहखातेदार अनदाराम की संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिसमें वादी सं. 1 का 1/2 हि. व सहखातेदार अनदाराम का 1/2 हिस्सा दर्ज हैं वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी पूर्व में खातेदार बस्तीराम पुत्र नवलाराम कौम दरोगा के नाम थी। बस्तीराम के फौत होने पर वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी में खातेदार बस्तीराम के स्थान पर उनके वारिस चन्द्राराम का नाम दर्ज किया गया। तब से उक्त विरासत नामा. के आधार पर जमाबंदी में चन्द्राराम दर्ज चला आ रहा है। वादी सं. 1 के सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड व वादी सं. 2 के सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, पहचान पत्र, पैनकार्ड, राशनकार्ड, विद्युत बिल, बैंक डायरी इत्यादि में वादी सं. 1 के पति व वादी सं. 2 के पिता का नाम चन्द्रसिंह दर्ज है। वादीगण के पति/पिता चन्द्रसिंह फौत होने पर वादीगण के नाम दर्ज विरासत नामा. में वादी सं. 1 के पति व वादी सं. 2 के पिता का नाम चन्द्राराम दर्ज किया गया। उक्त फौतेदगी नामा. में वादी सं. 1 का नाम कन्या उर्फ कृष्णा दर्ज किया गया। जबकि वादी सं. 1 के सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधारकार्ड में वादी सं. 1 का नाम कनकी दर्ज है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि जवाब के पद सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में दर्ज अशुद्ध इन्द्राज कन्या उर्फ कृष्णा पत्नी चन्द्राराम 1/2 जाति रावणा राजपूत सा.देह खातेदार, कल्याणसिंह पुत्र चन्द्राराम 1/2 जाति रावणा राजपूत सा.देह खातेदार के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज कनकी पत्नी चन्द्रसिंह हि. 1/2 जाति रावणा राजपूत सा.देह खातेदार, कल्याणसिंह पुत्र चन्द्रसिंह हि. 1/2 जाति रावणा राजपूत सा.देह खातेदार व जवाब के पद सं. 2 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में दर्ज अशुद्ध इन्द्राज कन्या उर्फ कृष्णा पत्नी चन्द्राराम 1/2 जाति रावणा राजपूत सा.देह खातेदार के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज कनकी पत्नी चन्द्रसिंह हिस्सा 1/2 जाति रावणा राजपूत सा.देह खातेदार की दुरूस्ती किया जाना उचित है। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादीया की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र कल्याणसिह पुत्र चन्द्रसिंह का पेश किया गया।

वादीया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 खसरा सं. 389/2 वाके ग्राम पडासलां कलां की चालु जमाबंदी, प्रदर्श 2 वादी का आधार कार्ड, प्रदर्श 3 वादी के पैनकार्ड, प्रदर्श 4 वादी सं. 1 के आधार कार्ड, जनआधारकार्ड व बैक डायरी आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधार कार्ड कल्याण सिंह पुत्र चन्द्रसिंह , प्रदर्श 2 पहचान पत्र कल्याणसिंह पुत्र चन्द्रसिंह, प्रदर्श 3 पैनकार्ड कल्याणसिंह पुत्र चन्द्रसिंह, प्रदर्श 4 परिवार राशन कार्ड कल्याणसिंह पुत्र चन्द्रसिंह, प्रदर्श 5 एसबीआई बैंक की डायरी कल्याणसिंह पुत्र चन्द्रसिंह, प्रदर्श 6 आधार कार्ड कनकी पत्नी चन्द्रसिंह, प्रदर्श 7 जनआधार कार्ड कनकी, प्रदर्श 8 पहचान पत्र कनकी पत्नी चन्द्रसिंह, प्रदर्श 9 स्टेट बैंक आफ इंडिया की प्रति कनकी पत्नी चन्द्रसिंह, आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादीगण के सरकारी दस्तावेजात में वादीगण का नाम कनकी पत्नी चन्द्रसिंह व कल्याणसिंह पुत्र चन्द्रसिंह दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम कन्या उर्फ कृष्णा पत्नी चन्द्राराम व कल्याणसिंह पुत्र चन्द्राराम के नाम से दर्ज है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम कनकी पत्नी चन्द्रसिंह व कल्याणसिंह पुत्र चन्द्रसिंह की घोषणा कराने की अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने कन्या उर्फ कृष्णा पत्नी चन्द्राराम व कल्याणसिंह पुत्र चन्द्राराम के स्थान पर कनकी पत्नी चन्द्रसिंह व कल्याणसिंह पुत्र चन्द्रसिंह किये जाने की सहमति प्रदान की है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम पडासला कलां के खसरा नम्बर 389/2 रकबा 0.9223 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में कन्या उर्फ कृष्णा पत्नी चन्द्राराम व कल्याणसिंह पुत्र चन्द्राराम के स्थान पर कनकी पत्नी चन्द्रसिंह व कल्याणसिंह पुत्र चन्द्रसिंह तथा राजस्व ग्राम पडासला कलां 389/1 रकबा 2.1600 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में कन्या उर्फ कृष्णा पत्नी चन्द्राराम के स्थान पर कनकी पत्नी चन्द्रसिंह की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 17/12/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी :–	**बनाम**	**प्रतिवादी :–**
कनकी		राजस्थान सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती

राजस्व वाद संख्या :– 116 / 2024

निर्णय **दिनांक :–**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदन लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम पडासला कलां के खसरा नम्बर 389 / 2 रकबा 0.9223 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में कन्या उर्फ कृष्णा पत्नी चन्द्राराम व कल्याणसिंह पुत्र चन्द्राराम के स्थान पर कनकी पत्नी चन्द्रसिंह व कल्याणसिंह पुत्र चन्द्रसिंह तथा राजस्व ग्राम पडासला कलां 389 / 1 रकबा 2.1600 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में कन्या उर्फ कृष्णा पत्नी चन्द्राराम के स्थान पर कनकी पत्नी चन्द्रसिंह की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा